न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : 10 वर्ष 2021 **दिनांक : अप्रैल 20, 2021**

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से विचार–विमर्श एवं अनुमति के उपरान्त आपराधिक न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) एवं धारा 410 आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए जिला मुख्यालय गोपेश्वर में कार्यरत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के न्यायालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित पूर्व में पारित आदेश संख्या 07/2020 दिनांकित 01.06.2020 को संशोधित करते हुए क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अग्रिम अन्यथा आदेश तक निम्नवत व्यवस्था की जाती है –

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को अपराधों/मामलों के संज्ञान/जॉच/विचारण/न्यायनिर्णयन आदि का निम्नवत क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा –

(1) पुलिस थाना–गोपेश्वर, पुलिस थाना–चमोली, राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील–चमोली, तहसील–घाट (विकास नगर), तहसील–नन्द्रप्रयाग से सम्बन्धित समस्त पुलिस चालान एवं परिवाद पर संस्थित मामले।

(2) पुलिस थाना–गोपेश्वर, पुलिस थाना–चमोली, राजस्व पुलिस क्षेत्र तहसील–चमोली, तहसील–घाट (विकास नगर), तहसील–नन्द्रप्रयाग के धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम, 1881, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के वादों तथा अन्य विशेष अधिनियम के अन्तर्गत योजित परिवाद।

(3) ऐसे विशेष अधिनियमों/विधियों से सम्बन्धित परिवाद/प्रार्थना पत्र आदि, जिनकी सुनवाई का अन्यत्रतः क्षेत्राधिकार किसी अधिनियम/विधि द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली को प्रदत्त है।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 89(7)/2021, गोपेश्वर : दिनांक : अप्रैल 20, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित–

1– माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2– जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
3– पुलिस अधीक्षक, चमोली।
4– सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
5– सचिव, जिला बार संघ, चमोली–गोपेश्वर।
6– ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
7– सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।
8– गार्ड फाईल।

20/4/21
(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।